www.abcaus.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032021-226082
CG-DL-E-24032021-226082

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943
No. 157] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

सा.का.नि. 206(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 139, धारा 143, धारा 147 और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 में, नियम 11 में –

(1) खंड (घ) को लोप किया जाएगा।

(2) खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंडों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ड़) (i) कि क्या प्रबंधन ने बही खातों में दिए गए टिप्पणों के अलावा अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर यह कहा है कि कंपनी द्वारा विदेशी कंपनियों ("बिचौलियों") सहित कंपनी द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा कंपनी/कंपनियों को यह समझते हुए कोई भी राशि अग्रिम नहीं दी गई है अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा विनिधान नहीं किया गया है ऋण ली गई राशि या शेयर निधियां अन्य प्रकार के स्रोतों या निधियों में से कि उसे लिखित

www.abcaus.in

अथवा अन्यथा रूप में अभिलिखित किया जाएगा और यह कि बिचौलिया चाहे प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: कंपनी ('अंतिम हिताधिकारी') की ओर से अथवा किसी और प्रकार से चिन्हित अन्य व्यक्तियों अथवा कंपनियों को ऋण देगा अथवा निवेश करेगा अथवा नहीं देगा अथवा वह कोई गारंटी प्रतिभूति उपलब्ध कराएगा अथवा अंतिम हिताधिकारी की ओर से ऐसा करना चाहेगा;

(ii) कि क्या प्रबंधन ने खातों में दिए गए टिप्पणों के अलावा अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर यह कहा है कि कंपनी द्वारा इस आशय के साथ विदेशी इकाइयों ('वित्त पोषक पक्षकारों') सहित किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा कोई निधि दी है कि उसे लिखित अथवा अन्यथा रूप में अभिलिखित किया जाएगा और यह कि कंपनी प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: इस प्रकार से चिन्हित अन्य व्यक्तियों अथवा इकाइयों को ऋण नहीं देगी अथवा वहां निवेश नहीं करेगी चाहे वह वित्त पोषण पक्ष (अंतिम हिताधिकारी) द्वारा हो अथवा उसकी ओर से हो अथवा उसके द्वारा किसी गारंटी प्रतिभूति का उपबंध किया गया हो अथवा उसे अंतिम हिताधिकारी की ओर से किया हो; और

(iii) ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर दृष्टिगत रखते हुए कि लेखा परीक्षक ने परिस्थितियों पर तर्कसंगत और उचित माना है उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि जिससे उन्हें यह विश्वास हो कि उप-खंड (1) और उप-खंड (2) के अनुसार किए गए प्रतिवेदनों में वस्तुस्थिति से संबंधित कोई गलत-वक्तव्य है।

(च) क्या कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित अंशदान अथवा प्रदत्त राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

(छ) क्या कंपनी ने अपने बही खातों के रखरखाव के लिए ऐसे लेखा साफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को अभिलिखत करने की विशेषता है और यह कि उसे साफ्वेयर में अभिलिखित सभी संव्यवहारों के लिए पूरे वर्ष के दौरान प्रचालित किया गया और यह कि इससे लेखा परीक्षा प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई और यह कि अभिलेख अनुरक्षण के लिए कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी द्वारा लेखा परीक्षा को परिरक्षित किया गया है।

[फा.सं. 1/33/2013-सीएल-V (पार्ट)]

के.वी.आर मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 31 मार्च, 2014 की संख्या सा.का.नि. 246(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड(I) में प्रकाशित हुए थे तथा उसमें निम्नानुसार संशोधन किए गए थे-

1. सा.का.नि. 722(अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2014;
2. सा.का.नि. 972(अ) तारीख 14 दिसम्बर, 2015;
3. सा.का.नि. 307(अ) तारीख 30 मार्च, 2017;
4. सा.का.नि. 621(अ) तारीख 22 जून, 2017;
5. सा.का.नि. 174(अ) तारीख 16 फरवरी, 2018
6. सा.का.नि. 432(अ) तारीख 7 मई, 2018; और
7. सा.का.नि. 461(अ) तारीख 17 मई, 2018।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2021

G.S.R. 206(E).—In exercise of the powers conferred by sections 139, 143, 147 and 148 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, namely:—

www.abcaus.in

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2021.

2. In the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in rule 11,-

(1) clause (d) shall be omitted.

(2) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(e) (i) Whether the management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(ii) Whether the management has represented, that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(iii) Based on such audit procedures that the auditor has considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to their notice that has caused them to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) contain any material mis-statement.

(f) Whether the dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with section 123 of the Companies Act, 2013.

(g) Whether the company has used such accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software and the audit trail feature has not been tampered with and the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirements for record retention.".

[F. No.1/33/2013.CL-V (Part)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 246(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended as follows:-

1. G.S.R. 722 (E) dated the 14th October, 2014;
2. G.S.R. 972 (E) dated the 14th December, 2015;
3. G.S.R. 307(E) dated the 30th March, 2017;
4. G.S.R. 621(E) dated the 22nd June, 2017;
5. G.S.R. 174(E) dated the 16th February, 2018;
6. G.S.R. 432(E) dated the 7th May, 2018; and
7. G.S.R. 461(E) dated the 17th May, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.